कार्यालयः—प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग (छ.ग.)

।। आदेश ।।

क्रमांक 105 / दो–11–02 / 2023 दुर्ग दिनांक 29.11.2023

इस कार्यालय स्थापना में आकस्मिकता निधि (कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर) से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के 18 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 82 / दो–11–02 / 2023 दिनांक 12.10.2023 की कंडिका 02 के परिपेक्ष्य में मुक्त अनारक्षित वर्ग के चयनित अभ्यर्थी श्री कृष्णा राजकुमार गायधने पिता श्री राजकुमार गुजोबा गायधने के द्वारा 10 दिवस की निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने के फलस्वरूप भर्ती एवं चयन समिति, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर अनारक्षित वर्ग की प्रतीक्षा सूची में दर्ज निम्नांकित अभ्यर्थी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से निम्नलिखित निर्धारित शर्तों के अधीन उनके नाम के समक्ष कालम नं. 06 में अंकित पद पर नियुक्त किया जाता है:–

क्र.	चयनित आवेदक का नाम एवं पता	पिता / पति का नाम	वर्ग	चयनित वर्ग	चयनित पद
1	2	3	4	5	6
1.	श्री राजेश कुमार ढोके, निवासी–238 / डी, रिसाली सेक्टर, भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)	स्वं श्री चरण लाल ढोके	सामान्य	अनारक्षित मुक्त	फर्राश

—:नियुक्ति की शर्तें:—

1. चयनित उम्मीदवार कार्यभार ग्रहण करते समय विज्ञापन में दिये गये शैक्षणिक एवं अन्य योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति तथा मूल प्रति अवलोकनार्थ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
2. नवनियुक्त आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी को आदेश प्राप्ति के 10 दिवस के भीतर चयनित पद का कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनका नियुक्ति आदेश निरस्त माना जावेगा।
3. चयनित उम्मीदवार की सेवाएं पूर्णतः अस्थायी होगी तथा उनकी सेवाओं की इस कार्यालय को आवश्यकता नहीं होने पर किसी भी समय बिना कोई कारण बताये एवं बिना सूचना के समाप्त की जा सकेगी ।
4. नवनियुक्त कर्मचारी बिना इस कार्यालय के अनुमति के न, तो उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगें और न, ही किसी परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगें। नवनियुक्त कर्मचारियों द्वारा ऐसा किया जाना पाये जाने पर उनकी सेवाएं समाप्त की जावेगी ।
5. नवनियुक्त कर्मचारी द्वारा कार्यालय के आदेश की अवहेलना करने पर उनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी ।
6. नवनियुक्त कर्मचारी के कार्य, व्यवहार एवं आचरण से संबंधित शिकायत उनके प्रभारी अधिकारियों से प्राप्त होने पर उनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी ।

सही/–
(सिराजुददीन कुरैशी)
प्रधान न्यायाधीश
कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग (छ.ग.)